

आमन्दा दिनांक 05.11.23 का पत्र था।

05/11/23

पत्रावली पेश हुई वकील भर्तृहरि की आशुभाषी भाण
के नोटिस तामील करवाये हेतु बार-बार अवसर
दिये जाते के उपरान्त भी नोटिस तामील नहीं
करवाने पर पत्रावली आदेश उ निमम इसी प्रकार
के तहत स्वारीज की जाती है पत्रावली के ताल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखील
करवाये हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिन्नावा